


**HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT**

No. HVS-LA-41/2025/28069 Dated: 03 December, 2025

**NOTICE**

Since the prorogation of the last August, 2025 of the Haryana Vidhan Sabha, the Governor of the State of Haryana has promulgated the Haryana Shops and Commercial Establishments (Amendment) Ordinance, 2025 (Haryana Ordinance No. 4 of 2025).

1. A copy of the said Ordinances (in English) is sent herewith as required under Rule 168(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.
2. The aforesaid Ordinance will also be laid before the Haryana Vidhan Sabha during its ensuing Session.
3. The said Ordinance shall cease to operate at the expiration of six weeks from the commencement of the Session of the Haryana Vidhan Sabha, or if before the expiration of the said period a resolution disapproving the same is passed by the Haryana Vidhan Sabha, upon the passing of the resolution (vide Article 213 (2) of the Constitution of India). Within this period any member may, after giving three days notice to the Secretary, move a resolution disapproving the above mentioned Ordinance.

  
Dy. Superintendent,  
for Secretary.

To

**All the Members of the Haryana Vidhan Sabha.**



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 187-2025/Ext.]

CHANDIGARH, WEDNESDAY, NOVEMBER 12, 2025  
(KARTIKA 21, 1947 SAKA)

### LEGISLATIVE SUPPLEMENT

#### CONTENTS

		PAGES
<b>PART-I</b>	<b>ACTS</b>	
	NIL	
<b>PART-II</b>	<b>ORDINANCES</b>	
	THE HARYANA SHOPS AND COMMERCIAL ESTABLISHMENTS (AMENDMENT) ORDINANCE, 2025 (HARYANA ORDINANCE NO.4 OF 2025).	37— 39
<b>PART-III</b>	<b>DELEGATED LEGISLATION</b>	
	NIL	
<b>PART-IV</b>	<b>CORRECTION SLIPS, REPUBLICATIONS AND REPLACEMENTS</b>	
	Corrigendum in the Haryana Government, Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department, No. S.O. 38/C.A.35/2019/S.102/2024, dated the 24th July, 2024 (Only in English Text).	39

## PART - II

## HARYANA GOVERNMENT

## LAW AND LEGISLATIVE DEPARTMENT

## Notification

The 12th November, 2025

**No. Leg. 27/2025.**— The following Ordinance of the Governor of Haryana promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India, on the 11th November, 2025, is hereby published for general information:-

## HARYANA ORDINANCE NO. 4 OF 2025

**THE HARYANA SHOPS AND COMMERCIAL ESTABLISHMENTS  
(AMENDMENT) ORDINANCE, 2025**

AN

## ORDINANCE

*further to amend the Haryana Shops and Commercial Establishments Act, 1958.*

Promulgated by the Governor of Haryana in the Seventy-sixth Year of the Republic of India.

Whereas the Legislature of the State of Haryana is not in session and the Governor of Haryana is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Haryana is hereby promulgate the following Ordinance:-

- |  |   |
|--|---|
| <p>1. (1) This Ordinance may be called the Haryana Shops and Commercial Establishments (Amendment) Ordinance, 2025.</p> <p>(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.</p>  | <p>Short title and commencement.</p>                        |
| <p>2. After sub-section (4) of section 1 of the Haryana Shops and Commercial Establishments Act, 1958 (hereinafter called the principal Act), the following sub-section shall be added, namely :-</p> <p>“(5) The provisions of this Act except section 13A shall apply to the shops and establishments employing twenty or more workers and provisions of section 13A of this Act shall apply to the shops and establishments employing less than twenty workers.”</p>  | <p>Amendment of section 1 of Punjab Act 15 of 1958.</p>     |
| <p>3. In section 7 of the principal Act, -</p> <p>(i) in sub-section (1), for the words "nine hours", the words "ten hours" shall be substituted; and</p> <p>(ii) in sub-section (2), in the proviso, in clause (a), for the word "fifty", the words and sign "one hundred fifty-six" shall be substituted.</p>  | <p>Amendment of section 7 of Punjab Act 15 of 1958.</p>     |
| <p>4. In sub-section (1) of section 8 of the principal Act, for the words “five hours”, the words “six hours” shall be substituted.</p>  | <p>Amendment of section 8 of Punjab Act 15 of 1958.</p>     |
| <p>5. For section 13 of the principal Act, the following sections shall be substituted, namely :-</p> <p>“13. Registration of establishments.- (1) The employer of every establishment employing twenty or more workers shall, within a period of one month from the date of commencement of his business, submit an application online in such form, together with such fee and documents, as may be prescribed, containing-</p> <p>(a) the name of the employer and the manager, if any;</p> <p>(b) postal address along with GPS location of the establishment;</p> <p>(c) name of the establishment;</p> <p>(d) number of persons employed in the establishment;</p> <p>(e) nature of the business of an establishment; and</p> <p>(f) such other particulars, as may be prescribed.</p> | <p>Substitution of section 13 of Punjab Act 15 of 1958.</p> |



(2) On receipt of an application along with documents and fee, the Inspector shall verify the correctness of the application and documents attached thereto and on being satisfied shall issue online registration certificate to the employer in such form, as may be prescribed within the time limit as notified under the Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014).

(3) A registration certificate issued under sub-section (2) shall be valid until it is amended or cancelled upon closing of the establishment or revoked by the Inspector after verification, on such conditions and manner, as may be prescribed.

(4) It shall be the duty of the employer to intimate the Inspector online, any change in the particulars furnished in the application submitted for registration within a period of seven days after the change has taken place, in such form, as may be prescribed.

(5) In case of change with regard to the name of establishment, employer, manager and work force details, the employer shall make an application for amended registration certificate as per the provisions of sub-section (2) and no fee shall be charged for issuance of amended registration certificate.

(6) The employer shall intimate to the Inspector online about closing of the establishment, within thirty days of closing. The Inspector shall, on receiving the information and being satisfied about the correctness, remove the name of such establishment from the register of establishment and cancel the registration certificate.

(7) In case of any contravention of, or failure to comply with the provisions of this section, the employer shall be liable to a penalty which shall not be less than three thousand rupees but may extend to ten thousand rupees for the first violation and in case of second violation, he shall be liable to a penalty which shall not be less than five thousand rupees but may extend to twenty-five thousand rupees:

Provided that in case of continuous subsequent violation, the competent authority, as specified by the Government, may impose penalty at the rate of five hundred rupees for every day.

13A. Intimation of establishment employing less than twenty workers.- The employer of every establishment employing less than twenty workers shall, within a period of one month from the date of commencement of his business, submit online intimation to the Inspector in such form, as may be prescribed. The employer providing intimation shall be provided a Basic Information Performa ID Number.”.

Amendment of section 19 of Punjab Act 15 of 1958.

6. In sub-section (3) of section 19 of the principal Act, for the words and figure “section 21 of the Indian Penal Code”, the words, figures and brackets “clause (28) of section 2 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Central Act 45 of 2023)” shall be substituted.

Amendment of section 20 of Punjab Act 15 of 1958.

7. For sub-sections (5) and (6) of section 20 of the principal Act, the following sub-sections shall be substituted, namely :-

“(5) In the case of any contravention of the foregoing provisions of this section, the employer of an establishment shall be liable to a penalty not exceeding five hundred rupees for every day during which the contravention occurs or continues.

(6) If any person with intent to deceive, makes, or causes, or allows to be made, in any such record, register or notice as aforesaid an entry which is to his knowledge false in any material particular, or wilfully omits or causes or allows to be omitted from any such record, register or notice an entry required to be made therein, he shall be liable to a penalty which shall not be less than three thousand rupees but may extend to ten thousand rupees for the first violation and in case of second violation, he shall be liable to a penalty which shall not be less than five thousand rupees but may extend to twenty-five thousand rupees:

Provided that in case of continuous subsequent violation, the competent authority, as specified by the Government may impose penalty at the rate of five hundred rupees for every day.”.

8. After section 20 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:-
- “20A. Appointment letter.- Every employer of an establishment shall furnish to all his employees with the letter of appointment, having affixed the photograph of employee and obtain acknowledgement thereto.
- 20B. Identity card.- Every employer of an establishment shall furnish to every worker an identity card containing such particulars, as may be prescribed.”.
9. For sub-section (2) of section 21 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:-
- “(2) Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) or wilfully obstructs the inspecting authority in the exercise of the powers under this Act or conceals or prevents any employee in an establishment from appearing before or being examined by the authority, shall be liable to a penalty which shall not be less than three thousand rupees but which may extend to ten thousand rupees.”.
10. For section 26 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :-
- “26. Penalties.- Subject to the other provisions of this Act, whoever contravenes any of the provisions of this Act or the rules made thereunder and no penalty has been provided for such contravention in this Act, shall be liable to a penalty which shall not be less than three thousand rupees but which may extend to ten thousand rupees for the first violation and in case of second violation, he shall be liable to a penalty which shall not be less than five thousand rupees but may extend to twenty-five thousand rupees:
- Provided that in case of continuous subsequent violation, the competent authority, as specified by the Government may impose penalty at the rate of five hundred rupees for every day.”.
- Insertion of section 20A and 20B in Punjab Act 15 of 1958.
- Amendment of section 21 of Punjab Act 15 of 1958.
- Substitution of section 26 of Punjab Act 15 of 1958.

CHANDIGARH:  
THE 11th November, 2025.

PROF. ASHIM KUMAR GHOSH  
GOVERNOR OF HARYANA

RITU GARG,  
ADMINISTRATIVE SECRETARY TO GOVERNMENT, HARYANA,  
LAW AND LEGISLATIVE DEPARTMENT.

हरियाणा विधान सभा सचिवालय

सं. एच.वी.एस.-एल.ए.-41/2025/28609 दिनांकित 15 दिसम्बर, 2025

सूचना

हरियाणा विधान सभा के गत अगस्त, 2025 के सत्रावसान के बाद से, हरियाणा राज्य के राज्यपाल ने हरियाणा दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का हरियाणा अध्यादेश सं. 4) प्रख्यापित किया है।

1. हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 168 (1) के अधीन यथा अपेक्षित उक्त अध्यादेश की एक प्रति (अंग्रेजी) इसके साथ भेजी जाती है।
2. पूर्वोक्त अध्यादेश को हरियाणा विधान सभा के आरम्भ होने वाले अपने आगामी सत्र में भी रखा जाएगा।
3. उक्त अध्यादेश, हरियाणा विधान सभा का सत्र आरम्भ होने से छः सप्ताह की समाप्ति पर, अथवा यदि उक्त कालावधि की समाप्ति से पूर्व उसका निरनुमोदन का संकल्प हरियाणा विधान सभा द्वारा पारित हो जाता है तो संकल्प पारण होने पर प्रवर्तन में न रहेगा (भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (2) द्वारा)। इस कालावधि के अन्दर कोई भी सदस्य सचिव को तीन दिन की सूचना देने के पश्चात् ऊपरवर्णित अध्यादेश के निरनुमोदन का संकल्प प्रस्तुत कर सकता है।

कुलबीर सिंह  
16/12/2025  
(कुलबीर सिंह),  
अवर सचिव,  
कृते: सचिव।

सेवा में

हरियाणा विधान सभा के समस्त सदस्यगण।



**भाग-II****हरियाणा सरकार**

विधि तथा विधायी विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 26 नवम्बर, 2025

**संख्या लैज 27/2025.**— दि हरियाणा शॉपस ऐन्ड कॅमैःशॅल इस्टैब्लिश-मेंट (अमेन्डमेन्ट) ऑर्डिनन्स, 2025 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 19 नवम्बर, 2025 की स्वीकृति के अधीन एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (ग) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा:—

**2025 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 4**

**हरियाणा दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 2025**  
**हरियाणा दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958**  
**को आगे संशोधित**  
**करने के लिए**  
**अध्यादेश**

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

चूंकि हरियाणा राज्य विधानमण्डल का सत्र नहीं हो रहा है तथा राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

इसलिए, अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

1. (1) यह अध्यादेश हरियाणा दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 2025 कहा जा सकता है।  
 (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।
2. हरियाणा दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उप-धारा (4) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—  
 “(5) धारा 13क के सिवाय इस अधिनियम के उपबंध बीस या उससे अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाली दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे और इस अधिनियम की धारा 13क के उपबंध बीस से कम कर्मकारों को नियोजित करने वाली दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे।”
3. मूल अधिनियम की धारा 7 में,—  
 (i) उप-धारा (1) में “नौ घण्टें” शब्दों के स्थान पर, “दस घण्टें” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा  
 (ii) उप-धारा (2) में, परन्तुक में, खण्ड (क) में, “पचास” शब्द के स्थान पर “एक सौ छप्पन” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
4. मूल अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) में, “पांच घण्टे” शब्दों के स्थान पर “छह घण्टे” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
5. मूल अधिनियम की धारा 13 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—  
 “13. प्रतिष्ठानों का पंजीकरण.—(1) बीस या उससे अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान का नियोजक, अपने कारबार के प्रारम्भ की तिथि से एक मास की अवधि के भीतर, ऐसे प्ररूप में, ऐसी फीस और दस्तावेजों, जो विहित किए जाएं, के साथ ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दिए जाएंगे—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1958 के पंजाब अधिनियम 15 की धारा 1 का संशोधन।

1958 के पंजाब अधिनियम 15 की धारा 7 का संशोधन।

1958 के पंजाब अधिनियम 15 की धारा 8 का संशोधन।

1958 के पंजाब अधिनियम 15 की धारा 13 का प्रतिस्थापन।

- (क) नियोजक या प्रबन्धक का नाम, यदि कोई हो;
- (ख) प्रतिष्ठान की जी.पी.एस. अवस्थिति सहित डाक-पता;
- (ग) प्रतिष्ठान का नाम;
- (घ) प्रतिष्ठान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या;
- (ङ) प्रतिष्ठान के कारबार की प्रकृति; तथा
- (य) ऐसे अन्य ब्यौरे, जो विहित किए जाएं।

(2) दस्तावेजों और फीस के साथ आवेदन प्राप्त होने पर, निरीक्षक, आवेदन और उससे संलग्न दस्तावेजों की यथार्थता की जाँच करेगा और संतुष्टि होने पर नियोजक को ऐसे प्ररूप, जो विहित किया जाए, में हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4) के अधीन यथा अधिसूचित समय-सीमा के भीतर नियोजक को ऑनलाइन पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन जारी किया गया कोई पंजीकरण प्रमाण-पत्र तब तक वैध रहेगा, जब तक संशोधित नहीं किया जाता या प्रतिष्ठान के बन्द होने पर रद्द नहीं कर दिया जाता या निरीक्षक द्वारा जाँच करने के पश्चात्, ऐसी शर्तों पर और ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में प्रतिसंहरण नहीं किया जाता।

(4) नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन में दिए गए विवरणों में किसी भी परिवर्तन की सूचना, परिवर्तन होने के सात दिन के भीतर ऐसे प्ररूप, जो विहित किया जाए, में निरीक्षक को ऑनलाइन देवे।

(5) प्रतिष्ठान, नियोजक, प्रबन्धक के नाम और कार्यबल विवरणों के सम्बन्ध में परिवर्तन के मामले में, नियोजक, उप-धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार संशोधित पंजीकरण प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करेगा और संशोधित पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।

(6) नियोजक, प्रतिष्ठान के बन्द होने के बारे में, बन्द होने के तीस दिन के भीतर निरीक्षक को ऑनलाइन सूचित करेगा। निरीक्षक, सूचना प्राप्त होने पर और उसकी यथार्थता के बारे में संतुष्ट होने पर, प्रतिष्ठान के रजिस्टर में से ऐसे प्रतिष्ठान का नाम हटा देगा और पंजीकरण प्रमाण-पत्र को रद्द कर देगा।

(7) इस धारा के उपबन्धों के किसी भी उल्लंघन, अथवा की अनुपालना करने में असफल रहने के मामले में, नियोजक, प्रथम उल्लंघना के लिए, ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो तीन हजार रुपए से कम की नहीं हो सकेगी किन्तु दस हजार रुपए तक की हो सकेगी और द्वितीय उल्लंघना के मामले में, वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पाँच हजार रुपए से कम की नहीं हो सकेगी किन्तु पच्चीस हजार रुपए तक की हो सकेगी:

परन्तु लगातार उत्तरगामी उल्लंघना के मामले में, सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी, प्रत्येक दिन के लिए पाँच हजार रुपए की दर से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

13क. बीस से कम कर्मकारों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान की सूचना.— बीस से कम कर्मकारों को नियोजित करने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान का नियोजक, अपने कारबार को प्रारम्भ करने की तिथि से एक मास की अवधि के भीतर निरीक्षक को ऐसे प्ररूप, जो विहित किया जाए, में ऑनलाइन सूचना प्रस्तुत करेगा। सूचना देने वाले नियोजक को एक मूल सूचना प्रपत्र आई0डी0 संख्या दी जाएगी।”।

1958 के पंजाब अधिनियम 15 की धारा 19 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (3) में, “भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21” शब्दों तथा अंकों के स्थान पर, “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 2 के खण्ड (28)” शब्द, अंक तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

1958 के पंजाब अधिनियम 15 की धारा 20 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (5) तथा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“(5) इस धारा के पूर्वगामी किसी भी उपबन्ध के किसी उल्लंघन के मामले में, किसी प्रतिष्ठान का नियोजक, ऐसे प्रत्येक दिन, जिसके दौरान उल्लंघन होता है या जारी रहता है, के लिए ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पाँच सौ रुपए से अधिक की नहीं हो सकेगी।

(6) यदि कोई व्यक्ति, धोखा देने के आशय से, यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अभिलेख, पंजी या नोटिस में ऐसी कोई प्रविष्टि, करता है या करवाता है या करने को अनुमत करता है, जो उसकी जानकारी के अनुसार किसी तात्त्विक विशिष्टि की दृष्टि से मिथ्या है, या किसी ऐसे अभिलेख, पंजी या नोटिस से उसमें किए जाने के लिए अपेक्षित किसी प्रविष्टि का जानबूझकर लोप करता है, या



लोप करवाता है अथवा लोप करने को अनुमत करता है, तो वह प्रथम उल्लंघन के लिए ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो तीन हजार रुपए से कम की नहीं हो सकेगी, किन्तु दस हजार रुपए तक की हो सकेगी और द्वितीय उल्लंघन के मामले में, वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पाँच हजार रुपए से कम की नहीं हो सकेगी, किन्तु पच्चीस हजार रुपए तक की हो सकेगी:

परन्तु लगातार उत्तरगामी उल्लंघन के मामले में, सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक दिन के लिए पाँच सौ रुपए की दर से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।”।

8. मूल अधिनियम की धारा 20 के बाद, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“20क. नियुक्ति पत्र.- किसी प्रतिष्ठान का प्रत्येक नियोजक अपने सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देगा, जिस पर कर्मचारी का फोटो चिपका होगा तथा उसकी पावती प्राप्त करेगा।

20ख. पहचान पत्र.- किसी प्रतिष्ठान का प्रत्येक नियोजक प्रत्येक कर्मकार को एक पहचान पत्र देगा, जिसमें ऐसे विवरण शामिल होंगे, जो विहित किए जाएं।”।

9. मूल अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(2) जो कोई भी उप-धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने में निरीक्षण प्राधिकारी को जानबूझकर बाधित करता है अथवा प्रतिष्ठान में किसी कर्मचारी को प्राधिकारी के सामने उपस्थित होने से या प्राधिकारी द्वारा परीक्षित किए जाने से छिपाता है या रोकता है, तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो तीन हजार रुपए से कम की नहीं हो सकेगी किन्तु दस हजार रुपए तक की हो सकेगी।”।

10. मूल अधिनियम की धारा 26 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“26. शास्तियाँ.- इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, जो कोई भी इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करता है और इस अधिनियम में ऐसे उल्लंघन के लिए किसी शास्ति का उपबन्ध नहीं किया गया है, तो वह प्रथम उल्लंघन के लिए ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो तीन हजार रुपए से कम की नहीं हो सकेगी किन्तु दस हजार रुपए तक की हो सकेगी और द्वितीय उल्लंघन के मामले में, वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पाँच हजार रुपए से कम की नहीं हो सकेगी किन्तु पच्चीस हजार रुपए तक की हो सकेगी:

परन्तु लगातार उत्तरगामी उल्लंघन के मामले में, सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक दिन के लिए पाँच सौ रुपए की दर से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।”।

चण्डीगढ़:  
दिनांक 19 नवम्बर, 2025.

प्रो० असीम कुमार घोष,  
राज्यपाल, हरियाणा।

रितु गर्ग,  
प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार,  
विधि तथा विधायी विभाग।